भगवान शिव की शरण में आने से भक्त के समस्त पाप समाप्त होकर वह भोले की कृपा का पात्र बन जाता है - कथाकार श्रीराम बदन सिंह

झाबुआ। शहर के छोटे तालाब स्थित श्री मनकामेश्वर महादेव मंदिर में श्रावण मास में शिव पुराण कथा का आयोजन चल रहा है। जिसमें कथाकार श्रीराम बदन सिंह कथा का वाचन करते हुए धर्म की गंगा प्रवाहित कर रहे है। कथा श्रवण करने के लिए शिव भक्त बड़ी संख्या में मंदिर आ रहे है। जिसमें मातृ शक्तियों की संख्या अधिक रह रहीं है।

कथा के 17वें दिन कथाकार श्रीराम बदन सिंह ने बताया कि जिस मनुष्य के मन में क्षणिक सा भी पाप होता है और वह यदि निष्काम भाव से भोले की शरण में आ जाता है तो उस व्यक्ति का पाप क्षणिक हो या बहुत बड़ा, स्वतः ही समाप्त होकर वह भोले का कृपा पात्र बन जाता है। कथा में वरिष्ठ श्रीराम बदनसिंह द्वारा शंखचूड़ का असुर राज्य पर अभिषेक और उसके द्वारा देवों का अधिकार छीनने का वर्णन किया गया। देवों का ब्रह्माजी की शरण में जाना, ब्रह्माजी का उन्हें साथ लेकर विष्णुजी के पास जाना और विष्णुजी द्वारा शिवजी के समक्ष देवों की वेदना को प्रकट कर समस्या के निवारण के बारे में विस्तार से बताया गया।

श्रीराम बदनसिंह ने बताया कि भगवान भोलेनाथ भोले भंडारी है, उनकी शरण में जो भी जाता है, वह हर भक्त की पुकार सुनकर उनकी पीड़ाओं और समस्याओं को दूर करते है। श्रावण का महीना भगवान शिव की आराधना, उपासना का पवित्र और विशेष महीना होता है। इन दिनों में शिवजी की पूजा-अर्चना, भक्ति-आराधना, जाप-अनुष्ठान, मंत्र जाप आदि करने से कई गुना फल प्राप्त होता है एवं मनवांछित फल की प्राप्ति होती है।

वरिष्ठ नागरिक पेंशनर्स संगठन ने किया अभिनंदन-उल्लेखनीय है कि श्री मनकामेश्वर महादेव मंदिर सेवा समिति द्वारा श्री मनकामेश्वर महादेव मंदिर पर 10 जुलाई पूर्णिमा से शिव-पुराण कथा आरंभ की गई है। शिवपुराण कथा का वाचन श्रीराम बदनसिंह द्वारा प्रतिदिन किया जा रहा है।

श्रावण मास में चल रहीं शिव पुराण कथा को श्रवण करने वरिष्ठ नागरिक पेंशनर्स संगठन के पदाधिकारियों में रतनसिंह राठौर, भेरूसिंह सोलंकी, डॉ. एलएल फुलपगारे, रूपसिंह खपेड़, श्रीनाथसिंह चौहान आदि द्वारा पधारकर कथाकार श्रीराम बदनसिंह का पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया गया। वहीं श्री मनकामेश्वर महादेव मंदिर समिति अध्यक्ष रविरिसिंह राठौर सहित अन्य सदस्यों द्वारा संगठन के पदाधिकारियों का केसरिया दुपट्टा पहनाकर अभिनंदन किया गया।

शिव स्मृति भवन पर वार्ड क्र. 1 पार्षद श्रीमती रेखा शर्मा ने वार्ड की मातृ शक्तियों के साथ पहुंचकर किया मेडिटेशन

भजन-किर्तन कर ब्रम्हभोज ग्रहण किया

झाबुआ। श्रावण मास के पवित्र महीने में शहर के वार्ड क्रमांक-1 की पार्षद श्रीमती रेखा अश्विन शर्मा सहित वार्ड की मातृ शक्तियों ने समीपस्थ ग्राम गोपालपुरा स्थित प्रजापिता ब्रह्माकुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय (शिव स्मृति भवन) पहुंचकर अत्यंत ही आनंद एवं शांति की अनुभूति की।

इस दौरान संस्था की राजयोगिनी बहन जयंती दीदी एवं ज्योति दीदी के मार्गदर्शन में सभी ने मेडिटेशन (राजयोग) किया। साथ ही भजन-कीर्तन भी किए। अंत में आश्रम की सेविकाओं द्वारा बनाए गए ब्रह्मभोज को भी ग्रहण किया। प्रथम बार इस प्रकार के कार्यक्रम में सम्मिलित होने पर उपस्थित समस्त महिला सदस्यों ने प्रसन्नता व्यक्त की एवं कहा कि शिव स्मृति भवन आकर बहुत आनंद आया। आगामी रक्षाबंधन एवं जन्माष्टमी पर्व पर भी यहां पुनः आने की बात कहीं। समापन पर दोनों दीदीयों सहित आश्रम में सेवा दे रहे सेवक-सेविकाओं का आभार माना।

आजाद वाटिका में त्रिवेणी फायटर्स और कल्याणपुरा पेंथर्स के बीच हुआ व्हालीबॉल मैच

अतिथियों ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया शुभारंभ

झाबुआ। शहर के वार्ड क्रमांक-1 स्थित आजाद वाटिका (मोगली गार्डन) में त्रिवेणी फायटर्स और कल्याणपुरा पेंथर्स के बीच व्हॉलीबाल मैच खेले गए। इसमें दोनों ही टीमों ने बराबर 3-3 मैच जीते।

मैच का शुभारंभ अतिथियों में भाजपा महिला मोर्चा नगर मंडल अध्यक्ष एवं वार्ड पार्षद श्रीमती रेखा अश्विन शर्मा, राजपूत समाज अध्यक्ष शंभूसिंह चौहान, वरिष्ठ सदस्य नरेंद्र सांवरिया आदि ने दोनों टीमों के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया। खेल आयोजन को सफल बनाने में त्रिवेणी परिवार के समस्त सदस्यों द्वारा पूर्ण सहयोग प्रदान किया गया।

इस दौरान गार्डन में उपस्थित समस्त खेलप्रेमीयों ने खिलाड़ियों का भरपूर उत्साहवर्धन किया। खेल समाप्ति पर दोनों टीमों ने एक-दूसरे को खेल भावना से प्रेरित होकर शुभकामनाएं दी। त्रिवेणी परिवार द्वारा दिए गए विशेष आमंत्रण पर पधारी कल्याणपुरा पेंथर्स टीम के सदस्यों ने आभार प्रकट किया।

कलेक्टर नेहा मीना की गाड़ी को तेज रफ्तार रेत डंपर ने मारी टक्कर मामले में

अवैध रेत कारोबारी शांतिलाल बसेर के अवैध आशियाने पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई....

झाबुआ। कलेक्टर झाबुआ की गाड़ी को टक्कर मारने के मामले में भोपाल से लेकर दिल्ली तक सोमवार को पुरे दिन चर्चा का विषय बना रहा, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन हरकत में आया और एक संयुक्त टीम गठित की जिसमें कलेक्टर, एसडीएम झाबुआ के परिपालन में राजस्व की तरफ से राणापुर तहसीलदार हुकुम सिंह निगवाल को जांच का जिम्मा सौंपा गया। जिसमें तहसीलदार की प्रारंभिक जांच में अवैध रेत कारोबारी शांतिलाल बसेर निवासी राणापुर के नाम चार डंपर छः बसों पर कार्रवाई की जा रही है।

प्रशासन बड़ी कार्रवाई की तैयारी मे...?

कलेक्टर नेहा मीना की कार को टक्कर मारने वाले डंपर चालक व डंपर मालिक के खिलाफ प्रशासन सख्त कार्रवाई कर रहा है, राणापुर तहसीलदार एचएस निगवाल ने डंपर मालिक के यहाँ कार्रवाई करते हुए उसके केम्पस को आज सील कर दिया, उसके 4 डंपर, 6 बसों पर कार्रवाई की जा रही है।

वही रेत कारोबारी की जमीन आदिवासी की गैर आदिवासी के नाम पर पाई गई, जिसे प्रशासन फिर से आदिवासी को लौटाने की तैयारी कर रहा है।

रेत माफिया पर कसा शिकंजा.!

जिसमें तहसीलदार की प्रारंभिक जांच

रेत माफिया पर कसा शिकंजा, केम्पस सील, अवैध कब्जा होगा निस्तेनाबुद

में अवैध रेत कारोबारी शांतिलाल बसेर निवासी राणापुर के नाम चार डंपर छः बसों पर कार्रवाई की जा रही है , तहसीलदार की प्रारंभिक जांच में यह भी बात सामने आई है कि जिस स्थान पर शेड बनाकर चार डंपर, छः बस खड़ी मिली, वह सर्वे नंबर ग्राम पंचयत पाडलवा गांव हल्का नंबर 36 स्थित है और उक्त भूमि किसी आदिवासी बसु पिता बारीया भील के नाम से सर्वे नंबर 536/1 रकबा 26 हेक्टेयर की भूमि पर अवैध कब्जा स्थापित कर लिया गया था, जिसमें शांतिलाल बसेर का अवैध कब्जा मुक्त कर धारा 170 में कार्रवाई करते हुए आदिवासी को कब्जा दिलाया जाएगा।

रेत माफिया ने आदिवासी की जमीन पर कर रखा है अवैध कब्जा...

विभाग ने जानकारी देते हुए बताया कि रेत का अवैध परिवहन कर रहा डंपर राणापुर के रेत माफिया शांतिलाल पिता अम्बालाल बसेर का है, घटना के बाद शांतिलाल बसेर के घर तहसीलदार और पुलिस फोर्स पहुंची और जाँच की तो अवैध तरीके से आदिवासी की जमीन पर कब्जा कर रेत माफिया ने दो बिल्डिंग बना रखी हैं और अवैध रेत का कारोबार करता हैं, रेत माफिया शांतिलाल बसेर अभी मौके से फरार हैं जिस की पुलिस तलाश कर रही हैं।

वही पाडलवा गांव में पटवारी हल्का नम्बर 36 जिसका सर्वे नम्बर 536/3 रकबा 36 हेक्टेयर लगानी परिवर्तन भूमि हैं जो की बसु पिता वीरसिंह बारिया भील के नाम पर दर्ज हैं और उसी भूमि पर शांतिलाल बसेर द्वारा आदिवासी की भूमि पर कब्जा कर दो भवन बना रखे हैं और सारे उत्खन्न के कार्य वही से किये जाते है लेकिन घटना होने तुरंत बाद सारा स्टॉप इधर उधर कर दिया हैं, तहसीलदार ने मौके पर पंचनामा बनाया ओर अनुविभागीय अधिकारी को कार्यवाही करने के लिए प्रतिवेदन भेजेंगे।

हनुमान मंदिर छोटी करड़ावद में रुद्राक्ष पेड़ की हुई पूजा, हरियाली को बढ़ावा देने का दिया संदेश

झाबुआ। अखिल भारतीय साहित्य परिषद् के बेनर तले हरियाली तीज के पावन अवसर पर श्री शांति हनुमान मंदिर ग्राम छोटी करड़ावद में पूजारी सुखदेव बाबा के मुख्य आथित्य, अखिल भारतीय साहित्य परिषद् के जिलाध्यक्ष डॉ. भेरूसिंह चौहान 'तरंग' की अध्यक्षता एवं समाजसेवी बलवीरसिंह सोहेत के विशेष आतिथ्य में रुद्राक्ष पेड़ और रुद्राक्ष माला के समक्ष दीप प्रज्ज्वलित कर पूजा की गई।

पश्चात् आरती कर सभी को पर्यावरण संरक्षण और वृक्षों को सहेजने का संदेश दिया गया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष भेरूसिंह चौहान ने पर्यावरण पर स्वरचित रचना 'वृक्षों की होती पूजा है, दुनिया में अजूबा यह देश है निराला, नहीं ओर कोई दूजा' सुनाई। मंदिर पूजारी सुखदेव बाबा ने बताया कि मंदिर परिसर में खाली स्थान पर ओर भी फलदार एवं औषधीय पौधे लगाए जाएंगे। बलवीरसिंह सोहेत ने पौधारोपण करने के महत्व को प्रतिपादित किया। साथ ही विश्व मंगल हेतु कामना की। इस अवसर पर शिव भक्त उपस्थित थे।

मानवता शर्मसार, बस स्टैंड पर मिला नवजात शिशु

झाबुआ। पेटलावद क्षेत्र के ग्राम मोहनकोट में बस स्टैंड के समीप दुकान के बाहर सुबह-सुबह एक नवजात लोगों को दिखा। तभी आसपास मौजूद रह वासियों ने तलाश की तो पता चला की दुकान के बाहर नवजात शिशु पढ़ा हुआ दिखा।

नवजात बच्चे की खबर सुनकर पूरे गांव में सनसनी फैल गई और मौके पर काफी मात्रा में भीड़ एकत्रित हो गई। ग्रामीणों के द्वारा अधिकारी को फोन किया गया पुलिस थाने में संपर्क किया गया।

मोहनकोट के बस स्टैंड पर सड़क किनारे पड़ा मिला नवजात का शव..! झाबुआ जिले के मोहनकोट गांव में इंसानियत की रूह काँप उठी। माँ की ममता, जो कभी भूख से बिलखते बच्चे की हर धड़कन को सुन लेती थी, आज उसी ममता को किसी ने सड़क किनारे मरने को छोड़ दिया। ग्राम मोहनकोट के बस स्टैंड पर एक नवजात शिशु का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। वो मासूम, जिसने अभी सांसें लेना शुरू ही किया था, जिंदगी से पहले ही दुनिया को अलविदा कह गया।

बस स्टैंड के पास सड़क किनारे पड़ी उस नन्ही सी लाश को देखकर ग्रामीणों की आंखें भर आईं। सूचना मिलने पर रायपुरिया पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि उस नवजात को वहाँ किसने और क्यों फेंका, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आस-पास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं।

श्रीमती कोकिलाबेन संघवी का स्वर्गावास

झाबुआ। महेश, हस्तीमल, राजेंद्र, जयंती, इंद्रसेन संघवी की बड़े भाभी एवं सौरभ संघवी की माताजी श्रीमती कोकिलाबेन स्व.सोहनलाल संघवी उम्र 78 वर्ष का स्वर्गावास 29 जुलाई, मंगलवार दोपहर करीब 2 बजे हो गया। वे पिछले कुछ समय से अस्वस्थ थी।

अंतिम यात्रा निवास स्थान जगमोहन दास मार्ग से 30 जुलाई, बुधवार सुबह 9 बजे निकालकर अंतिम संस्कार गैल स्थित मुक्तिधाम पर किया जाएगा।

श्रीमती कोकिलाबेन संघवी के स्वर्गावास पर श्वेतांबर जैन श्री संघ एवं समाजजनों ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है।

बच्चों के उत्साह और जनसहभागिता से गूंजा नशामुक्ति अभियान

अलीराजपुर। एसपी राजेश व्यास पहुंचे बच्चोंं की कक्षा में, पुलिस मुख्यालय, मध्यप्रदेश, भोपाल के निर्देशानुसार 15 जुलाई से 30 जुलाई 2025 तक प्रदेशभर में ‘नशे से दूरी है जरूरी’ अभियान का व्यापक संचालन किया जा रहा है। इसी क्रम में जिला अलीराजपुर में भी यह अभियान जनभागीदारी, रचनात्मकता एवं उत्साह के साथ निरंतर आयोजित किया जा रहा है। आज दिनांक 29 जुलाई 2025 को जोबट अनुभाग के खटटाली स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस अधीक्षक अलीराजपुर श्री राजेश व्यास मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए। स्वागत एवं कार्यक्रम की रूपरेखा- कार्यक्रम की शुरुआत में खटटाली क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों, जनप्रतिनिधियों एवं ग्राम रक्षा समिति के सदस्यों द्वारा पुलिस अधीक्षक का पारंपरिक स्वागत कर श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया। विद्यालय प्राचार्य द्वारा ‘नशे से दूरी है जरूरी’ अभियान के उद्देश्य एवं महत्व पर प्रकाश डाला गया। पुलिस अधीक्षक का प्रेरक उद्बोधन- पुलिस अधीक्षक श्री राजेश व्यास ने विद्यार्थियों एवं उपस्थितजनों को संबोधित करते हुए कहा कि ड्रग्स नशा एक ऐसा जहर है जो धीरे-धीरे व्यक्ति, परिवार और समाज को नष्ट कर देता है। इस बुराई से बचने और दूसरों को बचाने की जिम्मेदारी हर नागरिक की है। युवाओं को इस दिशा में सबसे आगे बढ़कर समाज को नशामुक्त बनाने का प्रयास करना होगा।‘उन्होंने कहा कि नशा केवल व्यक्तिगत समस्या नहीं बल्कि संपूर्ण समाज के लिए एक चुनौती है और इसका समाधान जनसहयोग, संवेदनशीलता और सतत प्रयासों से ही संभव है। श्री व्यास ने विद्यार्थियों से अपील की कि वे अपने परिवार और आसपास के लोगों को प्रेरित करें कि सामाजिक आयोजनों में नशे का प्रयोग न करें तथा शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे सकारात्मक कार्यों में ही संसाधनों का उपयोग करें। नशे के दुष्परिणामों पर श्री व्यास का वक्तव्य-श्री व्यास द्वारा नशे के दुष्परिणामों को रेखांकित करते हुए जिले में घटित दो वास्तविक घटनाओं का उल्लेख किया गया। उन्होंने बताया कि नशे की लत किस प्रकार से व्यक्ति और समाज दोनों के लिए विनाशकारी सिद्ध हो रही है। पहली घटना थाना आंबुआ क्षेत्र की है, जहाँ विगत दिनों दूषित ताड़ी का सेवन करने से 3 व्यक्तियों की आकस्मिक मृत्यु हो गई। इस दुखद घटना ने न केवल उनके परिवारों को अपूरणीय क्षति पहुँचाई बल्कि पूरे समाज एवं जिले को भी हिला दिया। दूसरी घटना थाना नानपुर क्षेत्र की है, जहाँ नशे की हालत में आग्नेयास्त्र से गोली चलने के कारण एक बच्ची की मृत्यु हो गई। इन घटनाओं के कारण मृतकों के परिजनों को भारी मानसिक, सामाजिक एवं आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा है। श्री व्यास ने कहा कि नशे के कारण हुई इस प्रकार की जनहानि की भरपाई संभव नहीं है और इसका दर्द केवल पीड़ित परिवार ही महसूस कर सकता है। पथ ग्रहण एवं सक्रिय भागीदारी- पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित सभी नागरिकों, जनप्रतिनिधियों, ग्राम रक्षा समिति सदस्यों और विद्यार्थियों को ‘नशे से दूरी है जरूरी’ की शपथ दिलाई गई। साथ ही उपस्थितजनों को प्रेरित किया गया कि वे अपने गांव और फलियों में जाकर भी इसी प्रकार शपथ दिलवाएं और इस अभियान के पुलिस मित्र बनकर समाज को जागरूक करें। कार्यक्रम के उपरांत पुलिस अधीक्षक श्री व्यास विद्यालय की कक्षाओं में पहुंचे और विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए प्रोजेक्ट एवं चित्र देखे। इस अवसर पर बच्चों से उन्होंने खुलकर संवाद किया, उनकी जिज्ञासाओं को सुना और संतोषजनक उत्तर दिए। यह क्षण एक औपचारिक कार्यक्रम से आगे बढ़कर पुलिस और समाज के बीच विश्वास और अपनत्व का सुंदर उदाहरण बन गया। वृक्षारोपण एवं हस्ताक्षर अभियान-अंत में पुलिस अधीक्षक द्वारा विद्यालय परिसर में वृक्षारोपण किया गया तथा ‘नशे से दूरी है जरूरी’ विषयक हस्ताक्षर अभियान का विस्तार किया गया। श्री व्यास ने कहा कि ड्रग्स बच्चों का उत्साह और समाज के सभी वर्गों की सक्रिय भागीदारी यह दर्शाती है कि हम सभी की सहभागिता से समाज को नशामुक्त बनाया जा सकता है। यह अभियान केवल पुलिस का नहीं, बल्कि हर नागरिक का अभियान है।

जिला चिकित्सालय में पदस्थ डॉ. जॉन स्टेनली झाला का आकस्मिक निधन, स्वास्थ्य विभाग में शोक की लहर

झाबुआ। जिला अस्पताल में पदस्थ चिकित्सक डॉ. जॉन स्टेनली झाला का 29 जुलाई, मंगलवार तड़के सुबह 4 बजे आकस्मिक निधन हो गया। वे वर्ष 2017 से जिला चिकित्सालय में सेवाएं दे रहे थे। उल्लेखनीय है कि डॉ. झाला अपने विनम्र स्वभाव, दक्षता और सेवा भावना के लिए जाने जाते थे। उनके निधन की खबर से स्वास्थ्य विभाग में शोक की लहर छा गई। सहकर्मियों और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए स्व. झाला के योगदान को याद किया। डॉ. झाला के आकस्मिक निधन को चिकित्सा क्षेत्र के लिए एक बड़ी क्षति माना जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों, समस्त चिकित्सकों एवं स्टॉफने डॉ. झाला के निधन पर गहरा शोक करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है।

नाम परिवर्तन सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम HUSSAINA था जो कि पुराना नाम है अब मैने मैंरा नाम परिवर्तित कर नया नाम HUSSAINA BOHRA रख लिया है अब से मुझे नये नाम HUSSAINA BOHARA नाम से जाना एवं पहचाना व पुकारा जावे।

HUSSAINA BOHRA W/O SHABBIR BOHARA
31 Laxmi Bai Marg thandla jhabua m.p.

न्यायालय : कृष्णपालसिंह सिसोदिया, व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड जोबट, जिला अलीराजपुर (म.प्र.)

:: जाहिर सूचना पत्र ::

जावक क्रमांक 766/... जोबट, दिनांक 29.07.2025
सक्सेशन प्रकरण क्रमांक-02 / 2025 पेशी दिनांक- 11.09.2025
शाहबाई पति स्व. मुकेश डावर -आवेदिका
विरूद्ध- आम जनतागण एवं अन्य-1 -अनावेदकगण

इस सूचना पत्र के जरिये आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदिका शाहबाई पति स्व. मुकेश डावर, जाति भीलाला, आयु-46 वर्ष, पेशा गृहकार्य, निवासी भवरकुआ फलिया ग्राम बडा उडवा, तहसील एवं जिला अलीराजपुर ने इस न्यायालय में सक्सेशन प्रकरण क्रमांक-02/25 के अंतर्गत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा-372 भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया है। अतः आम जनतागण को सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन के विरूद्ध हेतुक दर्शित करने के लिये इस न्यायालय में दिनांक- 11.09.2025 को दिन के 11.00 बजे दावे का उत्तर देने के लिए उपसंजात होने के लिये आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा दावे का उत्तर देने के लिए उपसंजात हो सकते है, जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हो और जो इस दावे से संबंधित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन दाखिल करे और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में है, पेश करे, जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या मजुराई का दावा आधारित है. और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो या न हो अपनी प्रतिरक्षा या मजुराई के दावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते है, तो आप ऐसे दस्तावेज के लिखित कथन के साथ उपबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करे। आपको यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नही होगें तो दावे की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा। आज दिनांक-29.07.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से जारी किया गया।

नोटः- उपरोक्त वर्णित तिथि पर यदि अवकाश घोषित हो जाता है तो तब प्रकरण की सुनवाई आगामी कार्य दिवस पर की जावेगी।

कृष्णपालसिंह सिसोदिया, व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, जोबट जिला अलीराजपुर म.प्र.